

व्यय की नई मदे

वित्तीय वर्ष : 2010-11

----- 1 -----

क- विभाग :	राज्यपाल		
ख- अनुदान संख्या :	02	राज्यपाल	
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनेत्तर		
घ- विषय :	दो नए वाहनों का क्रय।		
ड- लेखाशीर्षक :	2012-राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति/ राज्यपाल /संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक,03-राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक,800-अन्य व्यय,03-राज्यपाल के लिये कार का क्रय,00		
	01	— वेतन	1000
			योग 1000
च- औचित्य :	राज्यपाल सचिवालय में तैनात विधि परामर्शी एवं वित्त नियंत्रक के उपयोगार्थ 2 नए वाहनों का क्रय किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई माँग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।		
छ- (धनराशि हजार रु0 में)			
आवर्तक :	1000		
अनावर्तक :	0		
योग (अंकों में) :	1000		

----- 2 -----

क- विभाग :	राजस्व		
ख- अनुदान संख्या :	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनेत्तर		
घ- विषय :	अपर मुख्य राजस्व आयुक्त हेतु वाहन का क्रय।		
ड- लेखाशीर्षक :	2029-भू-राजस्व,00-,001-निदेशन तथा प्रशासन,04-राजस्व आयुक्त अधिष्ठान,00		
	14	— कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय	475
			योग 475
च- औचित्य :	अपर मुख्य राजस्व आयुक्त हेतु एक नए वाहन का क्रय किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई माँग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।		
छ- (धनराशि हजार रु0 में)			
आवर्तक :	0		
अनावर्तक :	475		
योग (अंकों में) :	475		

----- 3 -----

क- विभाग :	राजस्व
ख- अनुदान संख्या :	06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ- विषय :	भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम।
ड.- लेखाशीर्षक :	2029-भू-राजस्व,00-,103-भू-अभिलेख,01-केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं,01-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (100% के0स0)
	42 — अन्य व्यय
	150000
	<u>योग 150000</u>
च- औचित्य :	उक्त योजनान्तर्गत जनपद पौडी एवं जनपद अल्मोडा में भू-अभिलेखों की स्कैनिंग एवं डिजिटिजेशन कार्य किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई माँग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ- (धनराशि हजार रु0 में)	
आवर्तक :	0
अनावर्तक :	150000
योग (अंकों में) :	150000

----- 4 -----

क- विभाग :	राजस्व
ख- अनुदान संख्या :	06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनेत्तर
घ- विषय :	जनपद हरिद्वार हेतु तीन वाहनों का क्रय।
ड.- लेखाशीर्षक :	2029-भू-राजस्व,00-,103-भू-अभिलेख,03-जिला अधिष्ठान,00
	14 — कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय
	1446
	<u>योग 1446</u>
च- औचित्य :	डिप्टी कलेक्टर (हरिद्वार), अपर उप जिलाधिकारी (रूडकी) तथा अपर तहसीलदार (रूडकी) हेतु क्रमशः एक-एक वाहन का क्रय किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई माँग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ- (धनराशि हजार रु0 में)	
आवर्तक :	0
अनावर्तक :	1446
योग (अंकों में) :	1446

----- 5 -----

क- विभाग :	राजस्व
------------	--------

ख-	अनुदान संख्या :	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन
ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :		आयोजनेत्तर
घ-	विषय :		जिलाधिकारी पिथौरागढ़ हेतु एक वाहन का क्रय।
ड-	लेखाशीर्षक :		2053-जिला प्रशासन,00-,093-जिला स्थापनाएं,03-कलकटरी स्थापना,00
		14	कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय
			475
			<u>योग</u> <u>475</u>
च-	औचित्य :		जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के लिए एक वाहन का क्रय किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई माँग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ-	(धनराशि हजार रु0 में)		
	आवर्तक :	0	
	अनावर्तक :	475	
	योग (अंकों में) :	475	

----- 6 -----

क-	विभाग :		वाणिज्य कर
ख-	अनुदान संख्या :	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएँ
ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :		आयोजनेत्तर
घ-	विषय :		वाणिज्य कर विभाग में 12 वाहनों का क्रय।
ड-	लेखाशीर्षक :		2040-बिक्री व्यापार आदि पर कर,00-,101-संग्रहण प्रभार,03-वाणिज्य कर अधिष्ठान,00
		14	कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय
			6000
			<u>योग</u> <u>6000</u>
च-	औचित्य :		वाणिज्य कर विभाग के गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डलों व मुख्यालय हेतु विभिन्न कार्यालयों के उपयोगार्थ यथा- सर्वेक्षण, पंजीयन, जांच तथा करापवंचन की रोकथाम के लिए 12 नए वाहनों का क्रय किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई माँग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ-	(धनराशि हजार रु0 में)		
	आवर्तक :	0	
	अनावर्तक :	6000	
	योग (अंकों में) :	6000	

----- 7 -----

क-	विभाग :	वित्त
----	---------	-------

ख-	अनुदान संख्या :	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें
ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :		आयोजनेत्तर
घ-	विषय :		वित्त आयोग निदेशालय में एक वाहन का क्रय।
ड-	लेखाशीर्षक :		2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें,00-,091-संलग्न कार्यालय,10-वित्त आयोग निदेशालय,00
		14	— कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय 500
		15	— गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद 50
			<u>योग</u> <u>550</u>
च-	औचित्य :		वित्त आयोग निदेशालय के अन्तर्गत तृतीय राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। आयोग के सदस्य के उपयोगार्थ एक वाहन का क्रय किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ-	(धनराशि हजार रु० में)		
	आवर्तक :	50	
	अनावर्तक :	500	
	योग (अंकों में) :	550	

----- 8 -----

क-	विभाग :		सचिवालय
ख-	अनुदान संख्या :	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें
ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :		आयोजनागत
घ-	विषय :		जनगणना-2011 का अधिष्ठान।
ड-	लेखाशीर्षक :		3454-जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी,01-जनगणना,800-अन्य व्यय,01-केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं,01-जनगणना-2011 का अधिष्ठान

01	— वेतन	10000
03	— महंगाई भत्ता	2500
04	— यात्रा व्यय	1000
06	— अन्य भत्ते	1000
07	— मानदेय	10000
11	— लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1000
15	— गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2500
16	— व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5000
42	— अन्य व्यय	10000
46	— कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2500
		<b>योग 45500</b>

च- औचित्य :

जनगणना कार्य निदेशालय (गृह मंत्रालय, भारत सरकार) के निर्देशानुसार जनगणना-2011 हेतु बजट व्यवस्था के लिए वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	17000
अनावर्तक :	28500
योग (अंकों में) :	45500

----- 9 -----

क- विभाग :

वाणिज्य कर

ख- अनुदान संख्या :

07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

वाणिज्य कर विभाग में कार्यालय भवनों का निर्माण।

ड- लेखाशीर्षक :

4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय,80- सामान्य,800-अन्य भवन,09-वाणिज्य कर विभाग के आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण,00

24 — वृहत् निर्माण कार्य 150000

**योग 150000**

च- औचित्य :

वाणिज्य कर विभाग के सभी कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण कराया जा रहा है। कम्प्यूटरीकरण के लिए काशीपुर, रुड़की, खटीमा, रामनगर, नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, टनकपुर एवं बागेश्वर आदि में किराए के भवनों में संचालित कार्यालयों के स्थान पर विभाग के स्वयं के कार्यालय भवनों का निर्माण किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 की नई मांग में निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	150000
योग (अंकों में) :	150000

क-	विभाग :	राज्य सम्पत्ति विभाग
ख-	अनुदान संख्या :	07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें
ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ-	विषय :	मुम्बई में उत्तराखण्ड भवन एवं इम्पोरियम की स्थापना।
ड-	लेखाशीर्षक :	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय,02-शहरी आवास,800-अन्य भवन,12-मुम्बई में उत्तराखण्ड भवन एवं इम्पोरियम की स्थापना,00
		24 — वृहत् निर्माण कार्य <span style="float: right;">40000</span>
		<u>योग 40000</u>
च-	औचित्य :	मुम्बई में उत्तराखण्ड भवन एवं इम्पोरियम की स्थापना की जानी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ-	(धनराशि हजार रु0 में)	
	आवर्तक :	0
	अनावर्तक :	40000
	योग (अंकों में) :	40000

क-	विभाग :	पुलिस
ख-	अनुदान संख्या :	10 पुलिस एवं जेल
ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनेत्तर
घ-	विषय :	टनकपुर (चम्पावत) में फायर स्टेशन हेतु अग्निशमन सेवा कर्मियों के पदों का सृजन।

क्रम संख्या	पदनाम	संख्या	वेतन बैंड	वेतनमान	ग्रेड पे
1	अग्निशमन अधिकारी	1	पे-बैंड-2	9300-34800	4200
2	द्वितीय अग्नि अधिकारी	1	पे-बैंड-2	9300-34800	4200
3	लीडिंग फॉयर मैन	4	पे-बैंड-1	5200-20200	2000
4	फॉयर सर्विस चालक	4	पे-बैंड-1	5200-20200	2000
5	फायर मैन	26	पे-बैंड-1	5200-20200	1900
6	ए0एस0आई0एम0	1	पे-बैंड-1	5200-20200	2400
7	कुक	2	-1 एस	4440-7440	1300
8	कहार	1	(संविदा/आउट सोर्सिंग/नियत वेतन)	0	0
9	स्वच्छक	1	(संविदा/आउट सोर्सिंग/नियत वेतन)	0	0

ड.- लेखाशीर्षक :

2055-पुलिस,00-,800-अन्य व्यय,04-अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण  
अधिष्ठान,00

01	— वेतन	3945
03	— महंगाई भत्ता	608
06	— अन्य भत्ते	378
26	— मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	72
31	— सामग्री और सम्पूर्ति	170

**योग 5173**

च- औचित्य :

टनकपुर (चम्पावत) में फायर स्टेशन हेतु अग्निशमन सेवा कर्मियों के पदों का सृजन किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु० में)

आवर्तक :	4931
अनावर्तक :	242
योग (अंकों में) :	5173

----- 12 -----

क- विभाग :

शिक्षा

ख- अनुदान संख्या :

11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

नए राजकीय इण्टर कालेजों की स्थापना/ कर्मोन्नयन।

ड.- लेखाशीर्षक :

2202-सामान्य शिक्षा,02-माध्यमिक शिक्षा,109-राजकीय माध्यमिक  
विद्यालय,09-नये राजकीय इण्टर कालेजों की स्थापना तथा क्रमोन्नयन,00

01	— वेतन	9160
03	— महंगाई भत्ता	3206
04	— यात्रा व्यय	40
05	— स्थानान्तरण यात्रा व्यय	40
06	— अन्य भत्ते	1056
08	— कार्यालय व्यय	40
09	— विद्युत देय	20
10	— जलकर / जल प्रभार	20
11	— लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	40
12	— कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	200
25	— लघु निर्माण कार्य	200
26	— मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	200
27	— चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	40
45	— अवकाश यात्रा व्यय	20

**योग 14282**

च- औचित्य :	प्रदेश में समय-समय पर विभिन्न विद्यालयों के उच्चीकरण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न पदों का सृजन किया जाना है, जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ- (धनराशि हजार रु0 में)	
आवर्तक :	13582
अनावर्तक :	700
योग (अंकों में) :	14282

----- 13 -----

क- विभाग :	शिक्षा
ख- अनुदान संख्या :	11 शिक्षा,खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ- विषय :	संस्कृत शिक्षा निदेशालय में वाहन का क्रय।
ड- लेखाशीर्षक :	2202-सामान्य शिक्षा,05-भाषा विकास,001-निदेशन तथा प्रशासन,03-संस्कृत शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान (2202-02-001 से स्थानांतरित),00
	14 — कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय
	500
	<u>योग 500</u>
च- औचित्य :	संस्कृत शिक्षा निदेशालय में एक वाहन का क्रय किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ- (धनराशि हजार रु0 में)	
आवर्तक :	0
अनावर्तक :	500
योग (अंकों में) :	500

----- 14 -----

क- विभाग :	शिक्षा
ख- अनुदान संख्या :	11 शिक्षा,खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ- विषय :	संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान।
ड- लेखाशीर्षक :	2202-सामान्य शिक्षा,05-भाषा विकास,103-संस्कृत शिक्षा,04-संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान,00
	43 — वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान
	40155
	<u>योग 40155</u>

च- औचित्य :	प्रदेश के 11 संस्कृत विद्यालयों/ विश्वविद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के पश्चात कुल 113 पदों का सृजन प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई माँग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ- (धनराशि हजार रु0 में)	
आवर्तक :	40155
अनावर्तक :	0
योग (अंकों में) :	40155

----- 15 -----

क- विभाग :	शिक्षा
ख- अनुदान संख्या :	11 शिक्षा,खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ- विषय :	जनपद स्तर पर संस्कृत शिक्षा का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण।
ड- लेखाशीर्षक :	2202-सामान्य शिक्षा,05-भाषा विकास,103-संस्कृत शिक्षा,06-जनपद स्तर पर संस्कृत शिक्षा का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण,00
	01 — वेतन 4384
	03 — महंगाई भत्ता 1184
	04 — यात्रा व्यय 400
	05 — स्थानान्तरण यात्रा व्यय 50
	06 — अन्य भत्ते 950
	08 — कार्यालय व्यय 200
	11 — लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई 130
	12 — कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण 260
	46 — कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय 650
	47 — कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय 200
	<b>योग 8408</b>

च- औचित्य :	जनपद स्तर पर संस्कृत शिक्षा का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई माँग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ- (धनराशि हजार रु0 में)	
आवर्तक :	7368
अनावर्तक :	1040
योग (अंकों में) :	8408

----- 16 -----

क- विभाग :	शिक्षा
ख- अनुदान संख्या :	11 शिक्षा,खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत

घ- विषय :	स्किल डेवलपमेंट योजना।
ड- लेखाशीर्षक :	2203-तकनीकी शिक्षा,00-,800-अन्य व्यय,04-स्किल डेवलपमेंट योजना,00
	16 — व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान 150
	31 — सामग्री और सम्पूर्ति 150
	42 — अन्य व्यय 500
	44 — प्रशिक्षण व्यय 1200
	<b>योग 2000</b>
च- औचित्य :	भारत सरकार के निर्देशानुसार केन्द्रीय सचिवालय की भूमिका के निर्वहन हेतु स्किल डेवलपमेंट योजना का क्रियान्वयन किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ- (धनराशि हजार रु0 में)	
आवर्तक :	0
अनावर्तक :	2000
योग (अंकों में) :	2000

----- 17 -----

क- विभाग :	कला एवं संस्कृति
ख- अनुदान संख्या :	11 शिक्षा,खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ- विषय :	लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता।
ड- लेखाशीर्षक :	2205-कला एवं संस्कृति,00-,102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन,33-लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता,00
	20 — सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 1500
	<b>योग 1500</b>
च- औचित्य :	प्रदेश के मूर्धन्य साहित्यकारों, लेखकों, कवियों की कृतियों धनाभाव के कारण प्रकाशित नहीं हो पाती हैं ऐसे साहित्यकारों, लेखकों तथा कवियों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता दी जानी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ- (धनराशि हजार रु0 में)	
आवर्तक :	0
अनावर्तक :	1500
योग (अंकों में) :	1500

----- 18 -----

क- विभाग :	कला एवं संस्कृति
ख- अनुदान संख्या :	11 शिक्षा,खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

भाषा संस्थान तथा हिन्दी अकादमी का भवन निर्माण।

ड- लेखाशीर्षक :

4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय,01-सामान्य शिक्षा,205  
-भाषा विकास,04-भाषा संस्थान तथा हिन्दी अकादमी का भवन निर्माण,00

24 — वृहत् निर्माण कार्य 10000

योग 10000

च- औचित्य :

प्रदेश में भाषा संस्थान तथा हिन्दी अकादमी का भवन निर्माण किये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक : 0

अनावर्तक : 10000

योग (अंकों में) : 10000

----- 19 -----

क- विभाग :

शिक्षा

ख- अनुदान संख्या :

11 शिक्षा,खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

संस्कृत विद्यालयों में पेयजल टैंक एवं शौचालयों का निर्माण।

ड- लेखाशीर्षक :

4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय,01-सामान्य शिक्षा,205  
-भाषा विकास,03-संस्कृत विद्यालयों में पेयजल टैंक एवं शौचालयों का निर्माण,00

20 — सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 8300

योग 8300

च- औचित्य :

राज्य के संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं एवं कर्मचारियों की सुविधा के लिए पेयजल टैंक एवं शौचालयों का निर्माण किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक : 0

अनावर्तक : 8300

योग (अंकों में) : 8300

----- 20 -----

क- विभाग :

आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग

ख- अनुदान संख्या :

12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ-	विषय :	आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना।
ड-	लेखाशीर्षक :	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,02-शहरी स्वास्थ्य सेवार्ये-अन्य चिकित्सा पद्धतियां,101-आयुर्वेद,11-आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को सहायता,00
		43 — वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान 1
		<u>योग 1</u>
च-	औचित्य :	आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को सहायता दिए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ-	(धनराशि हजार रु0 में)	
	आवर्तक :	1
	अनावर्तक :	0
	योग (अंकों में) :	1

----- 21 -----

क-	विभाग :	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
ख-	अनुदान संख्या :	12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण
ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ-	विषय :	विधान सभा परिसर में आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना।
ड-	लेखाशीर्षक :	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,02-शहरी स्वास्थ्य सेवार्ये-अन्य चिकित्सा पद्धतियां,101-आयुर्वेद,08-आयुर्वेदिक,04-आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का अधिष्ठान(शहरी/ग्रामीण)(2210 02 101 05 02 से स्थानान्तरित)
		01 — वेतन 50
		03 — महंगाई भत्ता 30
		06 — अन्य भत्ते 10
		08 — कार्यालय व्यय 10
		12 — कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण 100
		26 — मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 100
		31 — सामग्री और सम्पूर्ति 50
		39 — औषधि तथा रसायन 100
		<u>योग 450</u>
च-	औचित्य :	विधान सभा परिसर में आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना की जानी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ-	(धनराशि हजार रु0 में)	

आवर्तक :	100
अनावर्तक :	350
योग (अंकों में) :	450

----- 22 -----

क- विभाग :	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग		
ख- अनुदान संख्या :	12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत		
घ- विषय :	मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुदृढीकरण योजना।		
ड.- लेखाशीर्षक :	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवार्यै-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति,101-स्वास्थ्य उपकेन्द्र,05-मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुदृढीकरण योजना,00		
	39	— औषधि तथा रसायन	1500
	44	— प्रशिक्षण व्यय	6500
		<b>योग</b>	<b>8000</b>
च- औचित्य :	प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं तत्काल उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, ऐसे क्षेत्रों में गांव के किसी व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा के लिए प्रशिक्षित करते हुए फर्स्ट एड किट दिया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।		
छ- (धनराशि हजार रु0 में)			
आवर्तक :	0		
अनावर्तक :	8000		
योग (अंकों में) :	8000		

----- 23 -----

क- विभाग :	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण		
ख- अनुदान संख्या :	12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत		
घ- विषय :	राजकीय नर्सिंग कालेज, पौड़ी की स्थापना।		
ड.- लेखाशीर्षक :	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,05-चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान,105-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति,05-नर्सिंग एवं पैरामेडिकल शिक्षा,03-राजकीय नर्सिंग कालेज, पौड़ी की स्थापना		

01	— वेतन	18351
03	— महंगाई भत्ता	320
04	— यात्रा व्यय	20
05	— स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50
06	— अन्य भत्ते	237
08	— कार्यालय व्यय	1
09	— विद्युत देय	1
10	— जलकर / जल प्रभार	1
11	— लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1
12	— कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1000
14	— कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय	500
15	— गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1
16	— व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1
17	— किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	1
19	— विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	1
21	— छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	1
22	— आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	1
25	— लघु निर्माण कार्य	1
26	— मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	10000
29	— अनुरक्षण	1
31	— सामग्री और सम्पूर्ति	1
39	— औषधि तथा रसायन	1
42	— अन्य व्यय	1
44	— प्रशिक्षण व्यय	1
45	— अवकाश यात्रा व्यय	1
46	— कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1
47	— कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1
48	— महंगाई वेतन	1
<b>योग</b>		<b>30498</b>

च— औचित्य :

राजकीय नर्सिंग कालेज, पौड़ी की स्थापना हेतु विभिन्न पदों का सृजन प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से वेतनादि के लिए निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ— (धनराशि हजार रु० में)

आवर्तक :	18985
अनावर्तक :	11514
योग (अंकों में) :	30498

क— विभाग :

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

ख-	अनुदान संख्या :	12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण
ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत	
घ-	विषय :	श्रीनगर मेडिकल कालेज हेतु वेतन की व्यवस्था।	
ड-	लेखाशीर्षक :	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,05-चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान,105-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति,04-मेडिकल कालेज,01-श्रीनगर मेडिकल कालेज की स्थापना	
		01	— वेतन
			19281
			<u>योग 19281</u>
च-	औचित्य :	वीर चन्द्र सिंह गढवाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर गढवाल में आवश्यकतानुसार सृजित पदों के लिए वेतन व्यवस्था की आवश्यकता है। इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।	
छ-	(धनराशि हजार रु० में)		
	आवर्तक :	19281	
	अनावर्तक :	0	
	योग (अंकों में) :	19281	

----- 25 -----

क-	विभाग :	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	
ख-	अनुदान संख्या :	12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	
ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत	
घ-	विषय :	दून मेडिकल कालेज हेतु वेतन की व्यवस्था।	
ड-	लेखाशीर्षक :	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,05-चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान,105-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति,04-मेडिकल कालेज,06-दून मेडिकल कॉलेज की स्थापना	
		01	— वेतन
			3293
			<u>योग 3293</u>
च-	औचित्य :	दून मेडिकल कालेज, देहरादून को प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक पदों के सृजन किया जाना है जिनके लिए वेतनादि की व्यवस्था की जानी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।	
छ-	(धनराशि हजार रु० में)		
	आवर्तक :	3293	
	अनावर्तक :	0	
	योग (अंकों में) :	3293	

----- 26 -----

क-	विभाग :	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
----	---------	------------------------------

ख- अनुदान संख्या :	12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ- विषय :	राजकीय नर्सिंग कालेज पिथौरागढ़ की स्थापना।

ड.- लेखाशीर्षक :

2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,05-चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान,105-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति,05-नर्सिंग एवं पैरामेडिकल शिक्षा,01-राजकीय नर्सिंग कालेज पिथौरागढ़ की स्थापना

01	— वेतन	18351
03	— महंगाई भत्ता	320
04	— यात्रा व्यय	20
05	— स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50
06	— अन्य भत्ते	237
08	— कार्यालय व्यय	1
09	— विद्युत देय	1
10	— जलकर / जल प्रभार	1
11	— लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1
12	— कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1
14	— कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय	1
15	— गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1
16	— व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1
17	— किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	1
19	— विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	1
21	— छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	1
22	— आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	1
25	— लघु निर्माण कार्य	1
26	— मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1
27	— चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	1
29	— अनुरक्षण	1
31	— सामग्री और सम्पूर्ति	1
39	— औषधि तथा रसायन	1
42	— अन्य व्यय	1
44	— प्रशिक्षण व्यय	1
45	— अवकाश यात्रा व्यय	1
46	— कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1
47	— कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1
48	— महंगाई वेतन	1

<b>योग</b>	<b>19002</b>
------------	--------------

च- औचित्य :	राजकीय नर्सिंग कालेज पिथौरागढ़ हेतु आवश्यक पदों का सृजन प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई माँग के माध्यम से वेतनादि के लिए निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ- (धनराशि हजार रु0 में)	
आवर्तक :	18985
अनावर्तक :	18
योग (अंकों में) :	19002

----- 27 -----

क- विभाग :	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
ख- अनुदान संख्या :	12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ- विषय :	स्टेट नर्सिंग कालेज देहरादून की स्थापना।
ड.- लेखाशीर्षक :	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,05-चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान,105-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति,05-नर्सिंग एवं पैरामेडिकल शिक्षा,02 -स्टेट नर्सिंग कालेज देहरादून की स्थापना

01	— वेतन	18351
03	— महंगाई भत्ता	320
04	— यात्रा व्यय	20
05	— स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50
06	— अन्य भत्ते	237
08	— कार्यालय व्यय	1
09	— विद्युत देय	1
10	— जलकर / जल प्रभार	1
11	— लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1
12	— कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1000
14	— कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय	500
15	— गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1
16	— व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1
17	— किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	1
19	— विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	1
21	— छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	1
22	— आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	1
25	— लघु निर्माण कार्य	1
26	— मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	10000
27	— चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	1
31	— सामग्री और सम्पूर्ति	1
39	— औषधि तथा रसायन	1
42	— अन्य व्यय	1
44	— प्रशिक्षण व्यय	1
45	— अवकाश यात्रा व्यय	1
46	— कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1
47	— कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1
48	— महंगाई वेतन	1
<b>योग</b>		<b>30498</b>

च— औचित्य :

स्टेट नर्सिंग कालेज देहरादून की स्थापना की जानी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ— (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	18985
अनावर्तक :	11514
योग (अंकों में) :	30498

क— विभाग :

चिकित्सा शिक्षा विभाग

ख- अनुदान संख्या :	12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत	
घ- विषय :	राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों की स्थापना।	
ड.- लेखाशीर्षक :	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,05-चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान,105-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति,04-मेडिकल कालेज,07-राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों की स्थापना	

01	— वेतन	231365
03	— महंगाई भत्ता	80550
04	— यात्रा व्यय	419
05	— स्थानान्तरण यात्रा व्यय	100
06	— अन्य भत्ते	11507
08	— कार्यालय व्यय	3129
09	— विद्युत देय	23130
10	— जलकर / जल प्रभार	486
11	— लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2041
12	— कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2500
13	— टेलीफोन पर व्यय	856
14	— कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय	1500
15	— गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1742
16	— व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	44187
17	— किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	240
19	— विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	4000
20	— सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	30000
21	— छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	4980
22	— आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	375
25	— लघु निर्माण कार्य	2500
26	— मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	85000
27	— चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	604
29	— अनुरक्षण	17771
31	— सामग्री और सम्पूर्ति	15720
39	— औषधि तथा रसायन	29240
42	— अन्य व्यय	7220
44	— प्रशिक्षण व्यय	1019
45	— अवकाश यात्रा व्यय	100
46	— कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	4000
47	— कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	800

**योग 607081**

च- औचित्य :

राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों की स्थापना की जानी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई माँग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु० में)

आवर्तक :	359064
अनावर्तक :	252997
योग (अंकों में) :	607081

क- विभाग :	चिकित्सा शिक्षा विभाग		
ख- अनुदान संख्या :	12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत		
घ- विषय :	राजकीय दून मेडिकल कॉलेज की स्थापना।		
ड.- लेखाशीर्षक :	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय,03-चिकित्सा शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान,105-एलौपैथी,08-दून मेडिकल कालेज की स्थापना,00		
	24	— वृहत् निर्माण कार्य	300000
		<b>योग</b>	<b>300000</b>
च- औचित्य :	राजकीय दून मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जानी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई माँग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।		
छ- (धनराशि हजार रु० में)			
आवर्तक :		0	
अनावर्तक :		300000	
योग (अंकों में) :		300000	

क- विभाग :	चिकित्सा शिक्षा विभाग		
ख- अनुदान संख्या :	12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत		
घ- विषय :	राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों की स्थापना।		
ड.- लेखाशीर्षक :	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय,03-चिकित्सा शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान,105-एलौपैथी,09-राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों की स्थापना,00		
	24	— वृहत् निर्माण कार्य	305800
		<b>योग</b>	<b>305800</b>
च- औचित्य :	राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों की स्थापना की जानी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई माँग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।		
छ- (धनराशि हजार रु० में)			
आवर्तक :		0	
अनावर्तक :		305800	
योग (अंकों में) :		305800	

क- विभाग :	शहरी विकास विभाग
ख- अनुदान संख्या :	13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनेत्तर
घ- विषय :	शहरी विकास योजना अनुश्रवण परिषद हेतु बजट व्यवस्था।

ड.- लेखाशीर्षक : 2217-शहरी विकास,04-नगरों का समेकित विकास,001-निदेशन तथा प्रशासन,02-शहरी विकास योजना अनुश्रवण परिषद,00

04	— यात्रा व्यय	100
07	— मानदेय	140
12	— कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100
13	— टेलीफोन पर व्यय	30
15	— गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	80
16	— व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100
17	— किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	80
<b>योग</b>		<b>630</b>

च- औचित्य : शहरी विकास योजना अनुश्रवण परिषद हेतु बजट व्यवस्था की जानी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु में)

आवर्तक :	210
अनावर्तक :	420
योग (अंकों में) :	630

----- 32 -----

क- विभाग :	समाज कल्याण विभाग
ख- अनुदान संख्या :	15 कल्याण योजनायें
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ- विषय :	समेकित बाल संरक्षण योजना में विभिन्न विभागीय संस्थाओं का संचालन।

ड.- लेखाशीर्षक : 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,02-समाज कल्याण,102-बाल कल्याण,01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना,23-समेकित बाल संरक्षण योजना (आई0सी0पी0एस0) (75% के0स0)

42	— अन्य व्यय	5000
<b>योग</b>		<b>5000</b>

च-	औचित्य :	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के क्रियान्वयन हेतु उक्त योजना प्रारम्भ की जानी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ-	(धनराशि हजार रु0 में)	
	आवर्तक :	0
	अनावर्तक :	5000
	योग (अंकों में) :	5000

----- 33 -----

क-	विभाग :	समाज कल्याण विभाग
ख-	अनुदान संख्या :	15 कल्याण योजनायें
ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ-	विषय :	समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं का निर्माण।
ड-	लेखाशीर्षक :	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,02-समाज कल्याण,102-बाल कल्याण,01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना,06-समेकित बाल संरक्षण योजना हेतु संस्थाओं का निर्माण (75% के0स0)
		24 — वृहत् निर्माण कार्य
		5000
		<u>योग 5000</u>
च-	औचित्य :	उक्त योजना को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के क्रियान्वयन हेतु लागू किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ-	(धनराशि हजार रु0 में)	
	आवर्तक :	0
	अनावर्तक :	5000
	योग (अंकों में) :	5000

----- 34 -----

क-	विभाग :	समाज कल्याण विभाग
ख-	अनुदान संख्या :	15 कल्याण योजनायें
ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ-	विषय :	10 वर्ष से अधिक आयु के किशारों हेतु राज्यस्तरीय आश्रय गृह का निर्माण।
ड-	लेखाशीर्षक :	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,02-समाज कल्याण,102-बाल कल्याण,04-10 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों हेतु राज्यस्तरीय आश्रय गृहों का निर्माण,00
		24 — वृहत् निर्माण कार्य
		2500
		<u>योग 2500</u>

च- औचित्य : आश्रम पद्धति विद्यालय भगत सिंह कालोनी, देहरादून के परिसर में 10 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों हेतु 50 सीटों का एक राज्यस्तरीय आश्रय गृह का निर्माण किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	2500
योग (अंकों में) :	2500

----- 35 -----

क- विभाग : समाज कल्याण विभाग  
 ख- अनुदान संख्या : 15 कल्याण योजनायें  
 ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर : आयोजनागत  
 घ- विषय : राज्यस्तरीय उत्तर रक्षा गृह का निर्माण।

ड.- लेखाशीर्षक : 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,02-समाज कल्याण,103-महिला कल्याण,09-18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं/महिलाओं हेतु राज्यस्तरीय उत्तर रक्षा गृहों का निर्माण,00

24	— वृहत् निर्माण कार्य	2500
		योग 2500

च- औचित्य : आश्रम पद्धति विद्यालय भगत सिंह कालोनी, देहरादून के परिसर में 18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं/ महिलाओं हेतु 25 सीटों का एक राज्यस्तरीय उत्तर रक्षा गृह का निर्माण किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	2500
योग (अंकों में) :	2500

----- 36 -----

क- विभाग : समाज कल्याण विभाग  
 ख- अनुदान संख्या : 15 कल्याण योजनायें  
 ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर : आयोजनागत  
 घ- विषय : विकलांगजनों के लिए छात्रावास का निर्माण।

ड.- लेखाशीर्षक : 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,02-समाज कल्याण,104-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण,01-केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं,01-विकलांगजनों के लिए छात्रावास का निर्माण (90% के0स0)

24 — वृहत् निर्माण कार्य 1000

योग 1000

च- औचित्य :

विकलांगजनों के लिए अधोईवाला (देहरादून) में एक छात्रावास का निर्माण किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक : 0  
अनावर्तक : 1000  
योग (अंकों में) : 1000

----- 37 -----

क- विभाग :

समाज कल्याण विभाग

ख- अनुदान संख्या :

15 कल्याण योजनायें

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय के भवन का अतिरिक्त निर्माण कार्य।

ड- लेखाशीर्षक :

4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,60-अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम,200-अन्य कार्यक्रम,03-सैनिक कल्याण,04-निदेशालय के भवन का निर्माण

24 — वृहत् निर्माण कार्य 1000

योग 1000

च- औचित्य :

सैनिक कल्याण निदेशालय में अतिरिक्त निर्माण कार्य कराया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक : 0  
अनावर्तक : 1000  
योग (अंकों में) : 1000

----- 38 -----

क- विभाग :

कृषि एवं विपणन

ख- अनुदान संख्या :

17 कृषि कर्म एवं अनुसन्धान

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

खाद्यान्न सुरक्षा कार्यक्रम।

ड- लेखाशीर्षक :

2401-फसल कृषि कर्म,00-,102-खाद्यान्नों की फसलें,04-खाद्यान्न सुरक्षा कार्यक्रम,00

च- औचित्य :

राज्य में खाद्य उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त करने तथा खाद्यान्न की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कृषि विकास कार्यक्रमों को एकीकृत रूप से चलाया जाना है। प्रथमतया विकास कार्यक्रमों को अटल आदर्श ग्रामों में केन्द्रित किया जाएगा तदनुसार पर्वतीय क्षेत्र में मंडुवे के उपरान्त परती छोड़े जाने वाली भूमि में दलहन उत्पादन, धान की सीधी बुआई वाले क्षेत्र में मक्का एवं दलहन उत्पादन, मैदानी क्षेत्रों में गन्ने के साथ उर्द, मूंग की सहफसली खेती तथा जायद में दलहन उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	5890
योग (अंकों में) :	5890

----- 39 -----

क- विभाग :

सहकारिता विभाग

ख- अनुदान संख्या :

18 सहकारिता

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

अटल आदर्श ग्राम योजना हेतु वित्तीय सहायता।

ड- लेखाशीर्षक :

2425-सहकारिता,00-,800-अन्य व्यय,26-अटल आदर्श ग्राम योजना हेतु वित्तीय सहायता,00

20

— सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता

22200

योग

22200

च- औचित्य :

राज्य की समस्त 670 न्याय पंचायत मुख्यालयों को समन्वित विकास कर समग्र ग्रामीण विकास केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना है। इस योजना में समस्त मिनी बैंकों के माध्यम से बैंकिंग सुविधा प्रदान की जानी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	22200
योग (अंकों में) :	22200

----- 40 -----

क- विभाग :

ग्राम्य विकास विभाग

ख- अनुदान संख्या :

19 ग्राम्य विकास

ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ-	विषय :	निर्बल वर्ग आवास योजनान्तर्गत लिए गए बैंक ऋण की प्रतिपूर्ति।
ड-	लेखाशीर्षक :	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,00-,102-सामुदायिक विकास,19-निर्बल वर्ग आवास योजनान्तर्गत लिए गए बैंक ऋण की प्रतिपूर्ति,00
		50 — सब्सिडी <span style="float: right;">154000</span>
		<u>योग</u> <u>154000</u>
च-	औचित्य :	निर्बल वर्ग ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत निर्धन परिवारों को आवास निर्माण हेतु हडको से उपलब्ध कराए गए ऋण की प्रतिपूर्ति की जानी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ-	(धनराशि हजार रु0 में)	
	आवर्तक :	0
	अनावर्तक :	154000
	योग (अंकों में) :	154000

----- 41 -----

क-	विभाग :	लघु सिंचाई विभाग
ख-	अनुदान संख्या :	20 सिंचाई एवं बाढ़
ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ-	विषय :	स्प्रिंकलर अथवा ड्रिप के माध्यम से सिंचाई सुविधा।
ड-	लेखाशीर्षक :	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,00-,800-अन्य व्यय,01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना (90 % के0स0),08-स्प्रिंकलर अथवा ड्रिप के माध्यम से सिंचाई सुविधा
		24 — वृहत् निर्माण कार्य <span style="float: right;">80000</span>
		<u>योग</u> <u>80000</u>
च-	औचित्य :	प्रदेश के कृषकों को स्प्रिंकलर अथवा ड्रिप के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
छ-	(धनराशि हजार रु0 में)	
	आवर्तक :	0
	अनावर्तक :	80000
	योग (अंकों में) :	80000

----- 42 -----

क-	विभाग :	लघु सिंचाई विभाग
ख-	अनुदान संख्या :	20 सिंचाई एवं बाढ़
ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ-	विषय :	अटल आदर्श ग्रामों में सिंचाई सुविधा।

ड-	लेखाशीर्षक :	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,00-,800-अन्य व्यय,04-अटल आदर्श ग्रामों में सिंचाई सुविधा,00	
		24	— वृहत् निर्माण कार्य
			20000
			<u>योग 20000</u>
च-	औचित्य :	राज्य में कुल 670 ग्रामों को अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जानी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।	
छ-	(धनराशि हजार रु में)		
	आवर्तक :	0	
	अनावर्तक :	20000	
	योग (अंकों में) :	20000	

----- 43 -----

क-	विभाग :	ऊर्जा	
ख-	अनुदान संख्या :	21	ऊर्जा
ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत	
घ-	विषय :	पिटकुल को अंशपूंजी।	
ड-	लेखाशीर्षक :	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,05-पारेषण एवं वितरण,190 -सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश,04-पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखण्ड लि. में अंशपूंजी,00	
		30	— निवेश/ऋण
			197500
			<u>योग 197500</u>
च-	औचित्य :	पाँवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 द्वारा पारेषण तंत्र के विकास हेतु आर0ई0सी0-4 के अन्तर्गत कतिपय परियोजनाओं का वित्त पोषण कराया गया है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई माँग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।	
छ-	(धनराशि हजार रु में)		
	आवर्तक :	0	
	अनावर्तक :	197500	
	योग (अंकों में) :	197500	

----- 44 -----

क-	विभाग :	लोक निर्माण विभाग	
ख-	अनुदान संख्या :	22	लोक निर्माण कार्य
ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत	
घ-	विषय :	दो वाहनों का क्रय।	

ड- लेखाशीर्षक :

2059-लोक निर्माण कार्य,80- सामान्य,001-निर्देशन तथा प्रशासन,03  
-निर्देशन,00

14 — कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर  
गाड़ियों का क्रय

1000

**योग 1000**

च- औचित्य :

कार्य स्थलों पर कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति हेतु समय पर निरीक्षण के लिए  
मुख्यालय हेतु दो नए वाहनों के क्रय किए जाने हैं। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010  
-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक : 0  
अनावर्तक : 1000  
योग (अंकों में) : 1000

**45**

क- विभाग :

लोक निर्माण विभाग

ख- अनुदान संख्या :

22 लोक निर्माण कार्य

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनेत्तर

घ- विषय :

नव सृजित खण्डों हेतु 10 जीपों का क्रय।

ड- लेखाशीर्षक :

2059-लोक निर्माण कार्य,80- सामान्य,051-निर्माण,03-विकास/निर्माण कार्य के  
प्रखण्ड,00

14 — कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर  
गाड़ियों का क्रय

5000

**योग 5000**

च- औचित्य :

नव सृजित खण्डों हेतु 10 जीपों का क्रय किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष  
2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक : 0  
अनावर्तक : 5000  
योग (अंकों में) : 5000

**46**

क- विभाग :

लोक निर्माण विभाग

ख- अनुदान संख्या :

22 लोक निर्माण कार्य

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

नए खण्डों के लिए कार्यालय भवन व आवासीय भवनों का निर्माण।

ड.- लेखाशीर्षक :

4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय,80- सामान्य,800-अन्य भवन,09-लोक निर्माण (नए कार्य),00

24 — वृहत् निर्माण कार्य 2000

योग 2000

च- औचित्य :

लोक निर्माण विभाग में नए खण्डों के लिए कार्यालय भवनों, विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन तथा देहरादून एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में विभागीय निरीक्षण भवनों का निर्माण किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक : 0

अनावर्तक : 2000

योग (अंकों में) : 2000

----- 47 -----

क- विभाग :

लोक निर्माण विभाग

ख- अनुदान संख्या :

22 लोक निर्माण कार्य

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

नए पूल्ड आवास तथा गेस्ट हाऊस आदि का निर्माण।

ड.- लेखाशीर्षक :

4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय,80- सामान्य,800-अन्य भवन,13-पूल्ड आवास योजना (नये कार्य),00

24 — वृहत् निर्माण कार्य 2000

योग 2000

च- औचित्य :

जनपदों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों हेतु नए पूल्ड आवास तथा विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों में गेस्ट हाऊस आदि का निर्माण किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक : 0

अनावर्तक : 2000

योग (अंकों में) : 2000

----- 48 -----

क- विभाग :

लोक निर्माण विभाग

ख- अनुदान संख्या :

22 लोक निर्माण कार्य

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

डोजर मशीनों तथा अन्य सहायक उपकरणों की खरीद।

ड.- लेखाशीर्षक :

5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,03-राज्य मार्ग,052-मशीनरी तथा उपस्कर,05-नई खरीद,00

26	— मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	25000
		<u>योग</u> <u>25000</u>

च- औचित्य :

प्रदेश का अधिकांश भू-भाग पर्वतीय है जिस कारण सड़क यातायात ही आवागमन का मुख्य साधन है। वर्षा ऋतु एवं दैवीय आपदा के कारण अधिकांश सड़कों के बन्द होने के दृष्टिगत सड़कों से मलवा सफाई, स्लिप सफाई तथा बर्फ इत्यादि हटाने हेतु डोजर मशीनों तथा अन्य सहायक उपकरणों के क्रय की आवश्यकता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	25000
योग (अंकों में) :	25000

----- 49 -----

क- विभाग :

लोक निर्माण विभाग

ख- अनुदान संख्या :

22 लोक निर्माण कार्य

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

ग्रामों को सड़कों तथा सेतुओं से जोड़ा जाना।

ड.- लेखाशीर्षक :

5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,04-जिला तथा अन्य सड़के,800-अन्य व्यय,03-राज्य सेक्टर,02-नया निर्माण कार्य

24	— वृहत् निर्माण कार्य	130000
		<u>योग</u> <u>130000</u>

च- औचित्य :

प्रदेश का अधिकांश भू-भाग पर्वतीय है जिस कारण सड़क यातायात ही आवागमन का मुख्य साधन है। राज्य के ग्रामों को सड़क / सेतु से जोड़ा जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	130000
योग (अंकों में) :	130000

----- 50 -----

क- विभाग :

लोक निर्माण विभाग

ख- अनुदान संख्या :

22 लोक निर्माण कार्य

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना (नए कार्य)।

ड- लेखाशीर्षक :

5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,04-जिला तथा अन्य सड़के,800-अन्य व्यय,03-राज्य सेक्टर,03-मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना (नए कार्य)

24 — वृहत् निर्माण कार्य 10000

योग 10000

च- औचित्य :

राज्य में सड़क यातायात ही आवागमन का मुख्य साधन है। ग्रामों को सड़क संयोजकता प्रदान किए जाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना का संचालन किया जा रहा है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक : 0

अनावर्तक : 10000

योग (अंकों में) : 10000

----- 51 -----

क- विभाग :

लोक निर्माण विभाग

ख- अनुदान संख्या :

22 लोक निर्माण कार्य

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु संयोजन योजना।

ड- लेखाशीर्षक :

5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,04-जिला तथा अन्य सड़के,800-अन्य व्यय,03-राज्य सेक्टर,04-मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु संयोजन योजना

24 — वृहत् निर्माण कार्य 10000

योग 10000

च- औचित्य :

राज्य में सड़क यातायात ही आवागमन का मुख्य साधन है। ग्रामों को सेतु संयोजकता प्रदान किए जाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु संयोजन योजना का संचालन प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक : 0

अनावर्तक : 10000

योग (अंकों में) : 10000

----- 52 -----

क- विभाग :

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

ख- अनुदान संख्या :

25 खाद्य

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनेत्तर

घ- विषय :

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सलाहकार एवं अनुश्रवण परिषद हेतु बजट व्यवस्था।

ड- लेखाशीर्षक :

2408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण,01-खाद्य,001-निदेशन तथा प्रशासन,03-अधिष्ठान व्यय (खाद्य एवं पूर्ति),00

02	— मजदूरी	72
04	— यात्रा व्यय	600
06	— अन्य भत्ते	450
07	— मानदेय	120
08	— कार्यालय व्यय	120
09	— विद्युत देय	30
11	— लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	50
12	— कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	150
13	— टेलीफोन पर व्यय	120
14	— कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय	500
15	— गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	240
16	— व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	90
17	— किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	420
22	— आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	120
26	— मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	150
27	— चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	25
42	— अन्य व्यय	120
46	— कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	150
	<b>योग</b>	<b>3527</b>

च- औचित्य :

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सलाहकार एवं अनुश्रवण परिषद का गठन किया गया है। अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष को अनुमन्य सुविधाओं प्रदान करने के लिए बजट व्यवस्था की जानी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	1560
अनावर्तक :	1967
योग (अंकों में) :	3527

क- विभाग :

पर्यटन

ख- अनुदान संख्या :

26 पर्यटन

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

मेगा पर्यटन सर्किट निर्माण योजना हेतु रा0आ0नि0 से आहरित अग्रिम रु0 210003 हजार की प्रतिपूर्ति।

ड- लेखाशीर्षक :

5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय,80-सामान्य,104-संवर्धन तथा प्रचार,01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना,03-मेगा पर्यटन सर्किट निर्माण योजना

24	— वृहत् निर्माण कार्य	210003
		<hr/>
		योग 210003
		<hr/>

च- औचित्य :

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में हरिद्वार-ऋषिकेश-मुनिकीरेती-स्वर्गाश्रम में संचालित मेगा पर्यटन सर्किट योजना हेतु रा0आ0नि0 से आहरित अग्रिम रू0 210003 हजार की प्रतिपूर्ति की जानी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रू0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	210003
योग (अंकों में) :	210003

----- 54 -----

क- विभाग :

पशुपालन

ख- अनुदान संख्या :

28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना।

ड- लेखाशीर्षक :

2403-पशु पालन,00-,101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य,09-पशु चिकित्सालयों/ पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना,00

01	— वेतन	5000
03	— महंगाई भत्ता	1750
06	— अन्य भत्ते	550
08	— कार्यालय व्यय	700
09	— विद्युत देय	50
11	— लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	100
12	— कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	500
17	— किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	50
26	— मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	400
39	— औषधि तथा रसायन	200
42	— अन्य व्यय	700
		<hr/>
		योग 10000
		<hr/>

च- औचित्य :

प्रदेश के प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत एक पशु सेवा केन्द्र स्थापित किया जाना है, जिसके लिए आवश्यकतानुसार पशुधन प्रसार अधिकारी (रू0 5200-20200) ग्रेड पे- 2800 के पदों का सृजन प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रू0 में)

आवर्तक :	8050
अनावर्तक :	1950
योग (अंकों में) :	10000

----- 55 -----

क- विभाग :

पशुपालन

ख- अनुदान संख्या :

28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

चारा बैंकों (भण्डारण एवं वितरण गृह) की स्थापना।

ड- लेखाशीर्षक :

2403-पशु पालन,00-,107-चारा और चारागाह विकास,04-चारा बैंकों (भण्डारण एवं वितरण गृह) की स्थापना,00

42 — अन्य व्यय 25000

योग 25000

च- औचित्य :

न्याय पंचायत स्तर पर पशुओं को पौष्टिक चारा उपलब्ध कराने के लिए चारा बैंकों (भण्डारण एवं वितरण गृह) की स्थापना की जानी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रू0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	25000
योग (अंकों में) :	25000

----- 56 -----

क- विभाग :

मत्स्य एवं डेरी

ख- अनुदान संख्या :

28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

एकीकृत मत्स्य पालन।

ड- लेखाशीर्षक :

2405-मछली पालन,00-,101-अन्तर्देशीय मछली पालन,01-केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं (75% के0स0),01-एकीकृत मत्स्य पालन (अन्तर्देशीय जल कृषि एवं मत्स्यकीय का विकास)

20 — सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 8560

योग 8560

च-	औचित्य :	एकीकृत मत्स्य पालन (अन्तर्देशीय जल कृषि एवं मत्स्यकीय का विकास) किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ-	(धनराशि हजार रु0 में)	
	आवर्तक :	0
	अनावर्तक :	8560
	योग (अंकों में) :	8560

----- 57 -----

क-	विभाग :	पशुपालन
ख-	अनुदान संख्या :	28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य
ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ-	विषय :	पशु चिकित्सालयों/ पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण।
ड-	लेखाशीर्षक :	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय,00-,101-पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य,10-पशु चिकित्सालयों/ पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण,00
		24 — वृहत् निर्माण कार्य
		40000
		<u>योग 40000</u>
च-	औचित्य :	अटल आदर्श योजनान्तर्गत न्याय पंचायतवार पशु सेवा केन्द्रों के संतृप्तीकरण हेतु नए पशु सेवा केन्द्रों के भवन का निर्माण प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ-	(धनराशि हजार रु0 में)	
	आवर्तक :	0
	अनावर्तक :	40000
	योग (अंकों में) :	40000

----- 58 -----

क-	विभाग :	उद्यान
ख-	अनुदान संख्या :	29 औद्यानिक विकास
ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ-	विषय :	मुख्यमंत्री जड़ी-बूटी विकास योजना।
ड-	लेखाशीर्षक :	2401-फसल कृषि कर्म,00-,119-बागवानी और सब्जियों की फसलें,09-जड़ी बूटी शोध संस्थान को अनुदान,00
		20 — सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता
		40000
		<u>योग 40000</u>

च- औचित्य :

प्रदेश में जड़ी-बूटी कृषिकरण के विकास हेतु विद्यमान सम्भावनाओं के दृष्टिगत औषधीय एवं सगन्ध पादप कृषिकरण, कटाई पश्चात तकनीकी एवं सम्यक विपणन आदि सुविधाओं हेतु उक्त योजना का संचालन प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	40000
योग (अंकों में) :	40000

----- 59 -----

क- विभाग :

समाज कल्याण

ख- अनुदान संख्या :

30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनेत्तर

घ- विषय :

समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ में मुख्य सहायक के एक पद का सृजन।

ड- लेखाशीर्षक :

2225-अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण,01- अनुसूचित जातियों का कल्याण,001-निर्देशन तथा प्रशासन,07-एस.सी पी./ टी.एस.पी. नियोजन प्रकोष्ठ का अधिष्ठान,00

01	— वेतन	1
03	— महंगाई भत्ता	1
06	— अन्य भत्ते	1

योग 3

च- औचित्य :

समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ में मुख्य सहायक के एक पद का सृजन किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	3
अनावर्तक :	0
योग (अंकों में) :	3

----- 60 -----

क- विभाग :

समाज कल्याण

ख- अनुदान संख्या :

30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना का संचालन।

ड- लेखाशीर्षक :

2225-अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण,01- अनुसूचित जातियों का कल्याण,277-शिक्षा,17-अनुजाति के युवक-युवतियों हेतु शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना,00

50	— सब्सिडी	5000
		<u>योग</u> <u>5000</u>

च- औचित्य :

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियां जो अपनी कमजोर आर्थिक परिस्थितिवश व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाते हैं उनके लिए शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना का संचालन किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	5000
योग (अंकों में) :	5000

----- 61 -----

क- विभाग :

कृषि

ख- अनुदान संख्या :

30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

खाद्यान्न सुरक्षा कार्यक्रम।

ड- लेखाशीर्षक :

2401-फसल कृषि कर्म,00-,102-खाद्यान्न की फसलें,02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान,04-खाद्यान्न सुरक्षा कार्यक्रम

20	— सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	900
		<u>योग</u> <u>900</u>

च- औचित्य :

राज्य में खाद्य उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त करने तथा खाद्यान्न की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कृषि विकास कार्यक्रमों को एकीकृत रूप से (अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में) चलाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु प्रथमतया विकास कार्यक्रमों को अटल आदर्श ग्रामों में केन्द्रित किया जाएगा तदनुसार पर्वतीय क्षेत्र में मंडुवे के उपरान्त परती छोड़े जाने वाली भूमि में दलहन उत्पादन, धान की सीधी बुआई वाले क्षेत्र में मक्का एवं दलहन उत्पादन, मैदानी क्षेत्रों में गन्ने के साथ उर्द, मूंग की सहफसली खेती तथा जायद में दलहन उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	900
योग (अंकों में) :	900

----- 62 -----

क- विभाग :	उद्यान
ख- अनुदान संख्या :	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ- विषय :	जड़ी-बूटी विकास योजना।
ड.- लेखाशीर्षक :	2401-फसल कृषि कर्म,00-,119-बागवानी और सब्जियों की फसलें,02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान,18-जड़ी-बूटी विकास योजना
	20 — सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 10000
	<b>योग 10000</b>
च- औचित्य :	जड़ी-बूटी एवं सगन्ध पादपों के कृषिकरण से अनुसूचित जाति के परिवारों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से उक्त योजना का संचालन प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ- (धनराशि हजार रु० में)	
आवर्तक :	0
अनावर्तक :	10000
योग (अंकों में) :	10000

----- 63 -----

क- विभाग :	पशुपालन
ख- अनुदान संख्या :	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ- विषय :	पशु चिकित्सालयों/ पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना एवं पदों का सृजन।

क्रम संख्या	पदनाम	संख्या	वेतन बैंड	वेतनमान	ग्रेड पे
1	पशुधन प्रसार अधिकारी	6	पे-बैंड-1	5200-20200	2800

ड.- लेखाशीर्षक :	2403-पशु पालन,00-,101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य,02-अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान,07-पशु चिकित्सालयों/ पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना (राज्य सैक्टर योजना)
	08 — कार्यालय व्यय 9
	09 — विद्युत देय 7
	11 — लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई 6
	12 — कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण 48
	17 — किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व 10
	26 — मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 6
	39 — औषधि तथा रसायन 42
	42 — अन्य व्यय 6
	<b>योग 134</b>

च- औचित्य : अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जनपद पौड़ी-1, हरिद्वार-3, अल्मोड़ा-1 एवं बागेश्वर में 1 कुल छः पशुधन प्रसार अधिकारी के पदों के सृजन की आवश्यकता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई माँग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु० में)

आवर्तक :	16
अनावर्तक :	118
योग (अंकों में) :	134

----- 64 -----

क- विभाग : सहकारिता

ख- अनुदान संख्या : 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर : आयोजनागत

घ- विषय : अटल आदर्श ग्राम योजना हेतु वित्तीय सहायता।

ड.- लेखाशीर्षक : 2425-सहकारिता,00-,800-अन्य व्यय,07-अटल आदर्श ग्राम योजना हेतु वित्तीय सहायता,00

20	— सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	2200
		<u>योग</u> 2200

च- औचित्य : राज्य की समस्त 670 न्याय पंचायत मुख्यालयों का समन्वित विकास कर समग्र ग्रामीण विकास केन्द्र के रूप में विकसित एवं समस्त अटल आदर्श ग्रामों में मिनी बैंकों के माध्यम से बैंकिंग सुविधा प्रदान की जानी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई माँग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु० में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	2200
योग (अंकों में) :	2200

----- 65 -----

क- विभाग : ग्राम्य विकास

ख- अनुदान संख्या : 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर : आयोजनागत

घ- विषय : निर्बल वर्ग आवास योजनान्तर्गत लिए गए बैंक ऋण की प्रतिपूर्ति।

ड.- लेखाशीर्षक : 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम,00-,102-सामुदायिक विकास,02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान,12-निर्बल वर्ग आवास योजनान्तर्गत लिए गए बैंक ऋण की प्रतिपूर्ति

च- औचित्य : निर्बल वर्ग ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत (अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान) में आवास निर्माण हेतु हडको से उपलब्ध कराए गए ऋण की वसूली स्थगित किए जाने के फलस्वरूप हडको द्वारा प्रदत्त ऋण की अदायगी की जानी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	38000
योग (अंकों में) :	38000

----- 66 -----

क- विभाग : ग्राम्य विकास

ख- अनुदान संख्या : 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर : आयोजनागत

घ- विषय : प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत।

ड- लेखाशीर्षक : 3054-सड़क तथा सेतु,04-जिला तथा अन्य सड़कें,105-रख-रखाव तथा मरम्मत,03-प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत (अनुरक्षण),00

24	— वृहत् निर्माण कार्य	19000
		<u>योग 19000</u>

च- औचित्य : प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत की जानी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	19000
योग (अंकों में) :	19000

----- 67 -----

क- विभाग : समाज कल्याण

ख- अनुदान संख्या : 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर : आयोजनागत

घ- विषय : बाबू जगजीवन राम बालिका छात्रावास का निर्माण।

ड.- लेखाशीर्षक :

4225-अनुसूचित जातियों/ जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय,01-अनुसूचित जातियों का कल्याण,277-शिक्षा,01-केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं,01-बाबू जगजीवन राम बालिका छात्रावास का निर्माण (100 %के0स0)

24 — वृहत् निर्माण कार्य 10000

योग 10000

च- औचित्य :

समाज कल्याण विभाग द्वारा जनपद बागेश्वर के राजकीय महाविद्यालय परिसर में अनुसूचित जाति की बालिकाओं हेतु बाबू जगजीवन राम बालिका छात्रावास भवन का निर्माण किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई माँग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक : 0

अनावर्तक : 10000

योग (अंकों में) : 10000

----- 68 -----

क- विभाग :

समाज कल्याण

ख- अनुदान संख्या :

30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

समाज कल्याण निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल) का भवन निर्माण।

ड.- लेखाशीर्षक :

4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय,02-समाज कल्याण,800-अन्य व्यय,03-निदेशालय के भवन का निर्माण,00

24 — वृहत् निर्माण कार्य 20000

योग 20000

च- औचित्य :

समाज कल्याण निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल) में वर्तमान समय में किराये के भवन में संचालित है। निदेशालय के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई माँग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक : 0

अनावर्तक : 20000

योग (अंकों में) : 20000

----- 69 -----

क- विभाग :

पशुपालन

ख- अनुदान संख्या :

30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

पशु चिकित्सालयों/ पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण।

ड.- लेखाशीर्षक :

4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय,00-,101-पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य,02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान,03-पशु चिकित्सालयों/ पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण

24 — वृहत् निर्माण कार्य 6000

---

**योग 6000**

च- औचित्य :

अटल आदर्श ग्राम योजनाजन्तर्गत पौड़ी-1, हरिद्वार-3, अल्मोडा-1 एवं बागेश्वर में 1 पशु सेवा केन्द्र की स्थापना की जानी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई माँग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक : 0  
अनावर्तक : 6000  
योग (अंकों में) : 6000

---

----- 70 -----

क- विभाग :

ग्राम्य विकास

ख- अनुदान संख्या :

30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाजन्तर्गत आधिक्य व्यय का भुगतान।

ड.- लेखाशीर्षक :

4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय,00-,102-सामुदायिक विकास,02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान,01-प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण / एनपीवी का भुगतान

24 — वृहत् निर्माण कार्य 19000

---

**योग 19000**

च- औचित्य :

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाजन्तर्गत आधिक्य व्यय का भुगतान किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई माँग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक : 0  
अनावर्तक : 19000  
योग (अंकों में) : 19000

---

----- 71 -----

क- विभाग :

ऊर्जा

ख- अनुदान संख्या :

30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

पिटकुल को आर0ई0सी0 ऋण के सापेक्ष अंशपूँजी।

ड.- लेखाशीर्षक :

4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,05- पारेषण एवं वितरण,190-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश,03-पिटकुल को आर0ई0सी0 ऋण के सापेक्ष अंशपूंजी,00

30 — निवेश/ऋण 45000

योग 45000

च- औचित्य :

पावर ट्रांसमिशन कारपोशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 द्वारा पारेषण तंत्र के विकास हेतु आर0ई0सी0-4 के अन्तर्गत कतिपय परियोजनाओं का वित्त पोषण कराया गया है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक : 0  
अनावर्तक : 45000  
योग (अंकों में) : 45000

----- 72 -----

क- विभाग :

लोक निर्माण विभाग

ख- अनुदान संख्या :

30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

सड़क तथा सेतुओं का निर्माण।

ड.- लेखाशीर्षक :

5054-संडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,04- जिला तथा अन्य सडकें,800-अन्य व्यय,02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान,02-मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु संयोजन योजना

24 — वृहत् निर्माण कार्य 5000

योग 5000

च- औचित्य :

अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों को यातायात की सुविधा प्रदान किए जाने हेतु सड़क/ सेतुओं का निर्माण किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक : 0  
अनावर्तक : 5000  
योग (अंकों में) : 5000

----- 73 -----

क- विभाग :

लोक निर्माण विभाग

ख- अनुदान संख्या :

30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना।

ड.- लेखाशीर्षक :

5054-संडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,04- जिला तथा अन्य सडकें,800-अन्य व्यय,02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान,04-मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक संयोजन योजना

24 — वृहत् निर्माण कार्य 5000

**योग 5000**

च- औचित्य :

अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों को यातायात की सुविधा प्रदान किए जाने हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक संयोजन योजना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक : 0  
अनावर्तक : 5000  
योग (अंकों में) : 5000

----- 74 -----

क- विभाग :

श्रम एवं सेवायोजन

ख- अनुदान संख्या :

31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

रा0औ0प्र0संस्थान की स्थापना।

ड.- लेखाशीर्षक :

2225-अनु0जातियों , अनु0जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण,02-अ0सू0जन जातियों का कल्याण,277-शिक्षा,06-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना,00

16 — व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान 240

26 — मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 5301

**योग 5541**

च- औचित्य :

रा0औ0प्र0संस्थान गूलरभोज एवं खटीमा (ऊधमसिंह नगर) में 4 पहिया वाहनों के बेसिक ऑटोमेटिक सर्विसिंग तथा 2 एवं 3 पहिया वाहनों के बेसिक ऑटोमोबाइल सर्विसिंग सम्बन्धी कार्यक्रम का संचालन किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक : 0  
अनावर्तक : 5541  
योग (अंकों में) : 5541

----- 75 -----

क- विभाग :

समाज कल्याण

ख- अनुदान संख्या :

31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ- विषय :	अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सिविल एवं एलाइड सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व कोचिंग।
ड.- लेखाशीर्षक :	2225-अनु0जातियों , अनु0जनजातियों तथ अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण,02-अ0सू0जन जातियों का कल्याण,800-अन्य व्यय,07-अनुसूचित जनजाति के छात्रों सिविल एवं एलाइड सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व कोचिंग,00
	20 — सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता
	5000
	<u>योग</u> <u>5000</u>
च- औचित्य :	अनुसूचित जनजाति के प्रतिभाशाली छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षा पूर्व कोचिंग प्रतिष्ठित संस्थान के माध्यम से कराया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ- (धनराशि हजार रु0 में)	
आवर्तक :	0
अनावर्तक :	5000
योग (अंकों में) :	5000

----- 76 -----

क- विभाग :	समाज कल्याण
ख- अनुदान संख्या :	31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ- विषय :	अनुसूचित जनजाति विकास परिषद की स्थापना।
ड.- लेखाशीर्षक :	2225-अनु0जातियों , अनु0जनजातियों तथ अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण,02-अ0सू0जन जातियों का कल्याण,800-अन्य व्यय,19-अनुसूचित जनजाति विकास परिषद की स्थापना,00
	42 — अन्य व्यय
	1000
	<u>योग</u> <u>1000</u>
च- औचित्य :	अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अनुसूचित जनजाति विकास परिषद की स्थापना की जानी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ- (धनराशि हजार रु0 में)	
आवर्तक :	0
अनावर्तक :	1000
योग (अंकों में) :	1000

----- 77 -----

क- विभाग :	कृषि एवं विपणन
------------	----------------

ख-	अनुदान संख्या :	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :		आयोजनागत
घ-	विषय :		खाद्यान्न सुरक्षा कार्यक्रम।
ड-	लेखाशीर्षक :		2401-फसल कृषि कर्म,00-,796-जनजाति क्षेत्र उप योजना,30-खाद्यान्न सुरक्षा कार्यक्रम,00
		20	— सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता
			30
			<b>योग 30</b>
च-	औचित्य :		राज्य में खाद्य उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त करने तथा खाद्यान्न की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कृषि विकास कार्यक्रमों को एकीकृत रूप से (जनजाति क्षेत्र उप योजना में) चलाया जाना प्रस्तावित है। प्रथमतया विकास कार्यक्रमों को अटल आदर्श ग्रामों में केन्द्रित किया जाएगा तदनुसार पर्वतीय क्षेत्र में मंडुवे के उपरान्त परती छोड़े जाने वाली भूमि में दलहन उत्पादन, धान की सीधी बुआई वाले क्षेत्र में मक्का एवं दलहन उत्पादन, मैदानी क्षेत्रों में गन्ने के साथ उर्द, मूंग की सहफसली खेती तथा जायद में दलहन उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	30
योग (अंकों में) :	30

----- 78 -----

क-	विभाग :	पशुपालन
ख-	अनुदान संख्या :	31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ-	विषय :	पशुधन प्रसार अधिकारी के पदों का सृजन।

क्रम संख्या	पदनाम	संख्या	वेतन बैंड	वेतनमान	ग्रेड पे
1	पशुधन प्रसार अधिकारी	5	पे-बैंड-1	5200-20200	2800

ड-	लेखाशीर्षक :		2403-पशु पालन,00-,796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना,22-पशु चिकित्सालय/पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना (राज्य सैक्टर योजना),00
----	--------------	--	---

08	— कार्यालय व्यय	7
09	— विद्युत देय	6
11	— लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	5
12	— कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	40
17	— किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	9
26	— मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	5
39	— औषधि तथा रसायन	35
42	— अन्य व्यय	5

<b>योग</b>	<b>112</b>
------------	------------

च- औचित्य :

अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत पिथौरागढ़-2 तथा देहरादून-3 कुल पाँच पशुधन प्रसार अधिकारी के पदों का सृजन किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई माँग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	13
अनावर्तक :	99
योग (अंकों में) :	112

----- 79 -----

क- विभाग :

सहकारिता

ख- अनुदान संख्या :

31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

अटल आदर्श ग्राम योजना हेतु वित्तीय सहायता।

ड- लेखाशीर्षक :

2425-सहकारिता,00-,796-जनजाति क्षेत्र उप योजना,08-अटल आदर्श ग्राम योजना हेतु वित्तीय सहायता,00

20	— सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1260
----	----------------------------------	------

<b>योग</b>	<b>1260</b>
------------	-------------

च- औचित्य :

राज्य की समस्त 670 न्याय पंचायत मुख्यालयों का समन्वित विकास कर समग्र ग्रामीण विकास केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना है। उक्त योजनान्तर्गत समस्त अटल आदर्श ग्रामों में मिनी बैंकों के माध्यम से बैंकिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई माँग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	1260
योग (अंकों में) :	1260

----- 80 -----

क- विभाग :

ग्राम्य विकास

ख- अनुदान संख्या :

31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ-	विषय :	निर्बल वर्ग आवास योजनान्तर्गत लिए गए बैंक ऋण की प्रतिपूर्ति।
ड-	लेखाशीर्षक :	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,00-,796-जनजाति क्षेत्र उप योजना,13-निर्बल वर्ग आवास योजनान्तर्गत लिए गए बैंक ऋण की प्रतिपूर्ति,00
		20 — सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 8000
		<u>योग 8000</u>
च-	औचित्य :	ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत जनजाति क्षेत्र उप योजना में निर्धन परिवारों को आवास निर्माण हेतु हड़को से उपलब्ध कराए गए ऋण की वसूली स्थगित किए जाने के फलस्वरूप हड़को द्वारा प्रदत्त ऋण की अदायगी की जानी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ-	(धनराशि हजार रु0 में)	
	आवर्तक :	0
	अनावर्तक :	8000
	योग (अंकों में) :	8000

----- 81 -----

क-	विभाग :	ग्राम्य विकास
ख-	अनुदान संख्या :	31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ-	विषय :	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत (अनुरक्षण)।
ड-	लेखाशीर्षक :	3054-सड़क तथा सेतु,04-जिला तथा अन्य सड़कें,105-रख-रखाव तथा मरम्मत,03-प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत (अनुरक्षण),00
		24 — वृहत् निर्माण कार्य 4000
		<u>योग 4000</u>
च-	औचित्य :	ग्राम्य विकास विभाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत की जानी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ-	(धनराशि हजार रु0 में)	
	आवर्तक :	0
	अनावर्तक :	4000
	योग (अंकों में) :	4000

----- 82 -----

क-	विभाग :	समाज कल्याण
ख-	अनुदान संख्या :	31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

राजकीय जनजाति छात्रावासों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण।

ड- लेखाशीर्षक :

4225-अनुसूचित जातियों /जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय,02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण,277-शिक्षा,05-राजकीय जनजाति छात्रावासों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण,00

24 — वृहत् निर्माण कार्य 42805

योग 42805

च- औचित्य :

समाज कल्याण विभाग द्वारा चमोली, ऊधमसिंह नगर (काशीपुर, खटीमा) तथा पिथौरागढ़ (धारचूला) में संचालित अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों हेतु राजकीय छात्रावासों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक : 0

अनावर्तक : 42805

योग (अंकों में) : 42805

----- 83 -----

क- विभाग :

समाज कल्याण

ख- अनुदान संख्या :

31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण।

ड- लेखाशीर्षक :

4225-अनुसूचित जातियों /जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय,02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण,277-शिक्षा,06-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण,00

24 — वृहत् निर्माण कार्य 40434

योग 40434

च- औचित्य :

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक : 0

अनावर्तक : 40434

योग (अंकों में) : 40434

----- 84 -----

क- विभाग :

समाज कल्याण

ख-	अनुदान संख्या :	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :		आयोजनागत
घ-	विषय :		राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण।
ड-	लेखाशीर्षक :		4225-अनुसूचित जातियों /जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय,02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण,277-शिक्षा,07-रा0औ0प्र0संस्थाओं में अवस्थापना सुविधा,00
		24	— वृहत् निर्माण कार्य
			20640
			<u>योग</u> <u>20640</u>
च-	औचित्य :		समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊधमसिंह नगर (गूलरभोज, खटीमा), देहरादून (चकराता) में अवस्थापना का उच्चीकरण किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ-	(धनराशि हजार रु0 में)		
	आवर्तक :		0
	अनावर्तक :		20640
	योग (अंकों में) :		20640

----- 85 -----

क-	विभाग :		पशुपालन
ख-	अनुदान संख्या :	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :		आयोजनागत
घ-	विषय :		पशु चिकित्सालय/ पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण।
ड-	लेखाशीर्षक :		4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय,00-,101-पशुचिकित्सा सेवा तथा पशु,04-पशु चिकित्सालय/ पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण,00
		24	— वृहत् निर्माण कार्य
			5000
			<u>योग</u> <u>5000</u>
च-	औचित्य :		अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत पिथौरागढ़-2 देहरादून- में 3 पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण किए जाने हैं। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ-	(धनराशि हजार रु0 में)		
	आवर्तक :		0
	अनावर्तक :		5000
	योग (अंकों में) :		5000

----- 86 -----

क-	विभाग :		ग्राम्य विकास
ख-	अनुदान संख्या :	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ-	विषय :	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आधिक्य व्यय का भुगतान।
ड-	लेखाशीर्षक :	4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,00-,796-जनजाति क्षेत्र उप योजना,02-केन्द्रीय आयोजनागत/ कन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना,02-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आधिक्य व्यय का भुगतान
		24 — वृहत् निर्माण कार्य
		4000
		<u>योग</u> <u>4000</u>
च-	औचित्य :	ग्राम्य विकास विभाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत आधिक्य व्यय का भुगतान किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ-	(धनराशि हजार रु में)	
	आवर्तक :	0
	अनावर्तक :	4000
	योग (अंकों में) :	4000

----- 87 -----

क-	विभाग :	स्वास्थ्य
ख-	अनुदान संख्या :	31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ-	विषय :	सीमान्त विकास खण्डों का विकास।
ड-	लेखाशीर्षक :	4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,00-,796-जनजाति क्षेत्र उप योजना,91-जिला योजना,01-सीमान्त विकास खण्डों का विकास
		42 — अन्य व्यय
		9000
		<u>योग</u> <u>9000</u>
च-	औचित्य :	सीमावर्ती जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत, चमोली, उत्तरकाशी तथा ऊधमसिंह नगर के 9 विकास खण्डों का विकास किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ-	(धनराशि हजार रु में)	
	आवर्तक :	0
	अनावर्तक :	9000
	योग (अंकों में) :	9000

----- 88 -----

क-	विभाग :	ऊर्जा
ख-	अनुदान संख्या :	31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ-	विषय :	पिटकुल को आर0ई0सी0 ऋण के सापेक्ष अंशपूंजी।

ड.- लेखाशीर्षक :	4801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज,05-पारेषण एवं वितरण,796-जनजाति क्षेत्र उप योजना,02-पिटकुल को आर0ई0सी0 ऋण के सापेक्ष अंशपूंजी,00	30	— निवेश/ऋण	7500
				<b>योग 7500</b>
च- औचित्य :	पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 द्वारा पारेषण तंत्र के विकास हेतु आर0ई0सी0 -4 के अन्तर्गत कतिपय परियोजनाओं का वित्त पोषण कराया गया है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।			
छ- (धनराशि हजार रु0 में)				
आवर्तक :		0		
अनावर्तक :		7500		
योग (अंकों में) :		7500		

----- 89 -----

क- विभाग :	लोक निर्माण विभाग			
ख- अनुदान संख्या :	31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत			
घ- विषय :	सड़क तथा सेतुओं का निर्माण।			
ड.- लेखाशीर्षक :	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय,04- जिला तथा अन्य सड़कें,796 -जनजातिय क्षेत्र उप योजना,01-नया निर्माण कार्य,00	24	— वृहत् निर्माण कार्य	5000
				<b>योग 5000</b>
च- औचित्य :	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गांवों को यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए सड़क/ सेतुओं का निर्माण किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।			
छ- (धनराशि हजार रु0 में)				
आवर्तक :		0		
अनावर्तक :		5000		
योग (अंकों में) :		5000		